कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 309/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 09.08.2026

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

• किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

• थाना बिलरियागंज पुलिस ने गोरिया बाजार से पहले नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

दिनांक 08.08.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना बिलरियागंज पर उपस्थित होकर तहरीर दी गई कि अभियुक्त तौसीफ द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग बहन को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-211/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 09.08.2026 को उ0नि0 इसरार अहमद खान मय हमराह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर गोरिया बाजार से पहले नहर पुलिया के पास से अभियुक्त तौसीफ को वादी मुकदमा की नाबालिग बहन के साथ गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को महिला पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा में लिया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

तौसीफ पुत्र आमीर, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम भगतपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0-211/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।।

गिरफ्तारी का स्थान:

गोरिया बाजार से पहले नहर पुलिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 इसरार अहमद खान, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

2. का0 प्रेमचन्द्र कन्नौजिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

3. म0का0 शशिबाला, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

4. रि0म0का0 कोमल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.08.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ NH-128B आजमगढ़–मऊ मार्ग पर चक्काजाम कर उपद्रव एवं पुलिस बल से धक्का-मुक्की करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ जाम के दौरान एम्बुलेंस, रोडवेज बस एवं आमजन के वाहनों को रोककर की गई थी अभद्रता व तोड़फोड़ का प्रयास

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2026 को ग्राम अबाड़ी हरैया बॉर्डर स्थित आर्य नन्दिनी नर्सिंग होम में एक महिला की उपचार/ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतका के परिजनों, रिश्तेदारों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाठी-डंडों से लैस होकर NH-128B आजमगढ़–मऊ मार्ग को सड़क के बीचों-बीच बैठकर एवं वाहन लगाकर पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। जाम के दौरान गंभीर मरीजों को लेकर जा रही ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंसों को रोककर उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की गई तथा रोडवेज बसों एवं आमजन के वाहनों को रोककर चालकों से अभद्रता व तोड़फोड़ का प्रयास किया गया।मौके पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने एवं जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज की गई तथा नेमप्लेट व सीटी डोरी तोड़कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।

उक्त घटना के संबंध में उ0नि0 मो0 शमशाद खाँ की तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर मु0अ0सं0 272/2026 धारा 189(2), 191(2), 190, 221, 126(2), 121(1), 125, 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व 7 CLA Act पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.08.2026 को उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ल मय हमराह क्षेत्र में देखभाल एवं चेकिंग हेतु सठियांव चौराहा पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त अनिल चौहान रानीपुर पुलिया के पास मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा रानीपुर पुलिया के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त अनिल चौहान को समय करीब 05:40 बजे हिरासत पुलिस में ले लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल चौहान पुत्र रामअवध चौहान, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिही, पोस्ट राउतमऊ, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0: 272/2026 धारा 189(2), 191(2), 190, 221, 126(2), 121(1), 125, 109(1) BNS व धारा 7 CLA Act थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ल, का0 श्यामनारायण सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–09.08.2026
थाना–जहानागंज, जनपद–आजमगढ़

➡ *थाना जहानागंज पुलिस की वारंटियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही*
➡ *अभियान के तहत 06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार*

गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज अतुल कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 09.08.2026 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की प्रचलित है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1. सुनील यादव पुत्र राजदेव यादव, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी शाहपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 23764/25, अ0सं0 93/25, धारा 12 सा0 जुआ अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

2. गीता पत्नी नन्हकू कुमार, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 651/24, एनसीआर नं0 56/19, धारा 323, 504, 427 भादवि0, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

3. सुरेश पुत्र बैजनाथ, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी पेवठा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 1382/24, एनसीआर नं0 239/12, धारा 323, 504, 506 भादवि0, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

4. हीरा पुत्र टुघुर, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी पेवठा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 1382/24, एनसीआर नं0 239/12, धारा 323, 504, 506 भादवि0, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

5. पतई उर्फ श्यामजीत राम पुत्र कतवारु, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी सेमा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 61/22, अ0सं0 382/22, धारा 323, 504, 506 भादवि0, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

6. सुमित्रा पत्नी गुड्डू राम, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी मसीवीर महुआ, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

➡ मु0नं0 2215/22, एनसीआर नं0 193/17, धारा 323, 504, 506 भादवि0, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विनय कुमार, उ0नि0 दिनेश कुमार पाल, उ0नि0 बीरबल यादव, हे0का0 मनोज यादव, रि0आ0 दीपक सिंह, , रि0आ0 अनुज कुमार, रि0आ0अमित चौरसिया, रि0आ0 अमित गोंड, म0का0 नेहा सिंह, म0का0 कोमल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–09.08.2026
थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने पर सिधारी पुलिस की बड़ी कार्यवाही

➡ हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल गन को पुलिस ने कब्जे में लिया

➡ शस्त्र धारक के विरुद्ध अभियोग में विधिक कार्यवाही, अभियुक्त को नोटिस तामील कर अवमुक्त किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 03.08.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिनव सिंह उर्फ मंटू पुत्र जयप्रकाश सिंह, निवासी ग्राम तिवारीपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा दो नाली बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। जिसके संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 323/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम-1959 बनाम अभिनव सिंह उर्फ मंटू पंजीकृत किया गया।

शस्त्र धारक का विवरण-

जयप्रकाश सिंह पुत्र मातवर सिंह, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी सिधारी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

➡ 01 अदद लाइसेंसी डीबीबीएल गन।

➡ शस्त्र नं0–DBBL-357

➡ लाइसेंस नं0–853/18

अभियुक्त का बयान-

पूछताछ में जयप्रकाश सिंह द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनके लाइसेंसी असलहे से उनके पुत्र अभिनव सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है।

विधिक कार्यवाही-

उक्त अभियोग जमानतीय होने के कारण शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह को धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कराते हुए नियमानुसार अवमुक्त किया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 भाष्करानन्द सिंह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–09.08.2026
थाना–जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

➡ जमीन के विवाद में मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 08.08.2026 को वादी छोटेलाल चौहान पुत्र सरन चौहान, निवासी जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई कि प्रतिवादीगण द्वारा सड़क के किनारे स्थित उसके हिस्से की लगभग 03 बिस्वा जमीन को अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर वादी के साथ मारपीट, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0342/2026 धारा

115(2), 352, 351(3), 119(2) बीएनएस बनाम श्रीराम पुत्र फूलचन्द एवं गोविन्द पुत्र श्रीराम, निवासीगण ग्राम जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 09.08.2026 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त श्रीराम पुत्र फूलचन्द, निवासी ग्राम जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को थाना गेट के बाहर से समय करीब 14:20 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

श्रीराम पुत्र फूलचन्द, निवासी ग्राम जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0342/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0342/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, हे0का0 अंजनी राय, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।